रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271091
CG-DL-E-20032026-271091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947
No. 190]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

सा.का.नि. 196(अ).—यह कि आधार संख्या का उपयोग पहचान स्थापित करने हेतु व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएँ सुगम एवं निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और यहकि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के परामर्श के उपरांत, 27 फ़रवरी, 2026 के अपने पत्र संख्या 13(2)/2020-EG-II(Vol-8), *के माध्यम से*, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (जिसे आगे "उक्त विभाग" कहा जाएगा) भारत सरकार (जिसे आगे "उक्त सरकार" कहा जाएगा) को आधार अधिप्रमाणन सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे आगे "उक्त नियम" कहा जाएगा) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए यह अनुमति प्रदान की है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (जिसे आगे "उक्त विभाग" कहा जाएगा) को अधिप्रमाणित करने तथा आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जाए और उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अधीन अधिसूचित किया जाए;

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण (क) एनआईसी में भर्ती के लिए एनआईसी द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षा के विभिन्न चरण में उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने के लिए; और (ख) उक्त परीक्षा प्रक्रिया में शामिल परीक्षा अधिकारियों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से नियम 3 के उप-नियम (1)(क) के अधीन निर्दिष्ट किए गए अनुसार हाँ/नहीं अथवा/और

ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त प्रयोजन" कहा जाएगा) किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा; और उक्त विभाग आधार अधिप्रमाणन बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण, ओटीपी और जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए केवल भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने के लिए ही आधार प्रमाणीकरण करेगा, जिसमें पंजीकरण, परीक्षा, साक्षात्कार, ज्वाइनिंग आदि शामिल हैं (जिसे आगे "उपयोग प्रकरण" कहा जाएगा) ।

अतएब, उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम कि धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में, उक्त विभाग द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. उक्त विभाग, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यहाँ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन से पूर्व आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी।
2. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी देगी तथा आधार अधिप्रमाणन कराने से इनकार करने या कराने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगी, अर्थात्:-

    (क) फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक;

    (ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

    (ग) पासपोर्ट;

    (घ) राशन कार्ड;

    (ङ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र;

    (च) किसान फोटो पासबुक;

    (छ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (59 ऑफ 1988) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

    (ज) जाति प्रमाण पत्र; और

    (झ) निवास प्रमाण पत्र।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 06(01)/2026-कार्मिक]

डॉ राजेश कुमार पाठक, उप महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

G.S.R. 196(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter eF no. 13(2)/2020-EG-II(Vol-8), dated 27th February, 2026 to the National Informatics Centre (hereinafter referred to as the said Department), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the National Informatics Centre may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4

of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for establishing the identity of (a) candidates at various stages of recruitment / examination conducted by NIC for recruitment in NIC; and (b) examination functionaries involved in the said examination process, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1)(a) of rule 3 of the said rules and performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the National Informatics Centre shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of candidates at all stages of recruitment for NIC which includes registration, examination, interview, joining, etc. by using Biometric-Base authentication, OTP and Demographic Authentication [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the National Informatics Centre hereby notifies the following, namely:-

1. The National Informatics Centre, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on voluntary basis and the National Informatics Centre shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

   (a) Bank or Post Office Passbook with Photo;

   (b) Permanent Account Number (PAN) Card;

   (c) Passport;

   (d) Ration Card;

   (e) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India;

   (f) Kisan Photo Passbook;

   (g) Driving Licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

   (h) Caste Certificate; and

   (i) Domicile Certificate.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 06(01)/2026-Pers.]

Dr. RAJESH KUMAR PATHAK, Dy. Director General

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.20 03:33:18 +05'30'